

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग2

संख्या- 8/2020/418/अस्सी-2020-100 (10)/2020

लखनऊ दिनांक 18 नवम्बर,2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि जिला बहराइच के तहसील महसी के ग्राम भोगाजोत में स्थित मेसर्स ग्रेस स्टार एगो प्राइवेट लि0, 72 नाजिरपुरा पश्चिमी बहराइच द्वारा पट्टाकृत नीचे ब्यौरेवार वर्णित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट फल एवं सब्जियों के थोक सौदों हेतु 09 वर्ष की अवधि के लिये इस शर्त के साथ मण्डी उप स्थल होगा कि कृषि-विक्रेता पर कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा :-

मण्डी उप-स्थल का खसरा एवं चौहद्दी

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बहराइच के मण्डी क्षेत्र अवस्थित गाटा संख्या-52 क्षेत्रफल 3076 वर्ग मीटर, गाटा संख्या- 53 क्षेत्रफल 3960 वर्ग मीटर, गाटा संख्या- 54 क्षेत्रफल 2250 वर्ग मीटर और गाटा संख्या- 55 क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल 15686 वर्ग मीटर है ।

पूरब- रास्ता 26 फिट ।

पश्चिम- रास्ता 32 फिट, जो राष्ट्रीय राज्यमार्ग को जाता है ।

उत्तर- खेत/भूखण्ड सहाबुद्दीन, एजाजुद्दीन एवं अन्य ।

दक्षिण- खेत/भूखण्ड सुभान अल्ला, मकबूल एवं अन्य व अब्दुल हामिद ।

डा0 देवेश चतुर्वेदी

अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 8 /2020/418/अस्सी-2020-100(10)/2020, तददिनांक:

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 18 नवम्बर,2020 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ । कृपया उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।
2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय0प्र0।
3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बराइच/ मेसर्स ग्रेस स्टार एगो प्राइवेट लि0,72 नाजिरपुरा पश्चिमी बहराइच ।
5. सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, बहराइच ।

आज्ञा से,

समर बहादुर

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Krishi Vipran Avam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2

In Pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 8/2020/418/Eighty-2-2020-100(10)/2020 dated 18 November, 2020 .

NOTIFICATION

No. 8 /2020/ 418 /Eighty-2-2020-100(10)/2020

Lucknow, Dated 18 November, 2020

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act No. 25 of 1964) read with rule 58-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965 the Governor is pleased to declare that the area detailed below leased by Messrs Gres Star Agro Private Ltd., 72 Najirpura, West Bahraich located in village Bhogajot, Tahsil Mahshi and District Bahraich shall be Market Sub -Yard for specified wholesale transaction of fruits and vegetables with effect from the date of publication of this notification in the Gazette for a period of 09 years with the condition no mandi fee shall be charged from agriculturist-seller :-

Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard

| |
|---|
| Gata No. 52 area 3076 square meter, and Gata No. 53 area 3960, Gata No. 54 area 2250 square meter and Gata No.55 area 6400 square meter. Total area 15686 square meter located within the market area of Krishi Utpadan Mandi Samiti, Bahraich. |
|---|

| |
|----------------------|
| East : Road 26 feet. |
|----------------------|

| |
|---|
| West : Road 32 feet go to National Highway. |
|---|

| |
|--|
| North : Field/plot Sahbuddeen, Ajajudden and other |
|--|

| |
|---|
| South : Field/plot Subhanallah, Makbul and other, Abdul Hamid |
|---|

By Order

Dr.Devesh Chaturvedi
Additional chief Secretary

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।